सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ॰-टाईप, पी॰डब्लू॰डी॰ (IB)
डोरण्डा, राँची
मो॰ : 9431114466

पत्रांक आ॰का॰/122/17 दिनांक 24/05/2017

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार.

विषय :– 24 मई 2017 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या–24 पर हुए निर्णय का स्थगन और इस पर पुनर्विचार.

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ. अगर मंत्रिपरिषद का यह निर्णय नहीं बदला तो राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और अनियमितता का गंभीर आरोप लगेगा. इस बारे में मंत्रिपरिषद के समक्ष उपस्थापित संलेख विधिसम्मत नहीं है. यह संलेख सीवीसी के प्रासंगिक निर्देशों और न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध है. मेरे लिये ऐसे संलेख प्रस्ताव का समर्थन संभव नहीं है.

मंत्रिपरिषद की 19.09.2016 की बैठक के मद संख्या–29 पर विचार के समय भी मैंने वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुये पी आर एजेंसी के रुप में अर्नस्ट एंड यंग का नामांकन के आधार पर नियुक्ति का विरोध किया था. 24 मई 2016 की मंत्रिपरिषद की बैठक में तो इंडिया रिपोर्ट कार्ड प्रा. लि. नामक एक ऐसी कम्पनी को सरकार के पीआर कार्य हेतु नामांकन पर नियुक्त करने का प्रस्ताव आनन–फानन में रखा गया जो कतई इसके लिये योग्य नहीं है.

मैंने इस कम्पनी का वेबसाइट देखा है. वहाँ इसके बारे में समस्त जानकारियाँ उपलब्ध हैं. पता नहीं हमारी सरकार के आला अधिकारियों ने इस बारे में आपको क्या परामर्श दिया है, परंतु संलेख से ही स्पष्ट है कि यह कम्पनी मात्र एक वर्ष पहले मई 2016 में बनी है. इसका पेडअप कैपिटल मात्र एक लाख रुपया है. इस कम्पनी का वेबसाइट बताता है कि इसके पास 10 से कम कर्मचारी हैं, इसे पीआर कार्य का कोई अनुभव नहीं है, यह दिल्ली के आवासीय इलाका मयूर विहार के दो कमरे के एक फ्लैट के पते पर पंजीकृत है, इसके कार्यालय का अता पता नहीं है, इसकी एक सहयोगी कम्पनी जेजे फिल्म मीडिया प्रा. लि. है जो पूर्णतः निष्क्रिय है और यह भी पीआर का काम नहीं करती है बल्कि अकाउंट ऑडिट का काम करने के लिये बनी है.

पूर्व में नियुक्त दो कम्पनियों– प्रभातम एडवर्टाइजिंग एजेंसी और अर्नेस्ट एंड यंग की सेवायें समय पूर्व समाप्त कर इन दोनों द्वारा फिलहाल किये जा रहे कार्यों को करने के लिये "इंडिया

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट कार्ड मीडिया प्रा. लि." नामक इस कार्य के लिये सर्वथा अयोग्य एक कम्पनी को उनके स्थान पर नियुक्त करना और वह भी नामांकन के आधार पर नियुक्त करना कहीं से भी

युक्तिसंगत नहीं कहा जायेगा. इस मामले में निर्णय खुली निविदा से होना चाहिये, वित्तीय नियम को शिथिल कर नामांकन से नहीं होना चाहिये. हटाने के पूर्व अर्नस्ट एक यंग तथा प्रभातम के एडवर्टाइजिंग एजेंसी कार्यकलापों की समीक्षा होनी चाहिये. यदि इनके अतिरिक्त कोई अन्य एजेंसी भी प्रचार–प्रसार कार्य के लिये नियुक्त है तो उसके कार्यों की समीक्षा भी होनी चाहिये.

जिन दो कम्पनियों को समय पूर्व हटाने का संकल्प मंत्रिपरिषद की गत बैठक में मेरी असहमति के बावजूद बिना सम्यक् विचार किये पारित घोषित किया गया उनमें से भी एक कम्पनी – प्रभातम एडवर्टाइजिंग एजेंसी–की नियुक्ति खुली निविदा के आधार पर की गई है. बिना पर्याप्त विधिसम्मत आधार के किसी कम्पनी की सेवा समय पूर्व निरस्त करने अथवा नामांकन के आधार पर किसी अयोग्य कम्पनी को नियुक्त करने का मनमाना निर्णय पर मुहर लगाना मंत्रिपरिषद के लिये उचित नहीं कहा जायेगा. ऐसा करना मंत्रिपरिषद की शक्ति का दुरुपयोग करना है. पता नहीं आपके सलाहकार एवं सरकार के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों ने इस बारे में वस्तुस्थिति को आपके समक्ष किस रुप में रखा है.

इस विषय में मैं अपने मंतव्य से आपको इसलिये अवगत करा रहा हूँ ताकि इस मामले में सरकार पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे और एक विभाग में हो रहे ऐसे कृत्य के लिये पूरी मंत्रिपरिषद कलंकित नहीं हो.

दामोदर प्रदूषण समीक्षा यात्रा (29 मई– 3 जून 2017) में रहने के कारण अगले मंगलवार को मंत्रिपरिषद की संभावित बैठक में मेरा उपस्थित रहना संभव नहीं है इसलिये उपर्युक्त विषय में मैं अपने मंतव्य से आपको अवगत करा रहा हूँ. मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपने विभाग के ऐसे मनमाना निर्णय पर सहमति देने के लिये मंत्रिपरिषद को बाध्य नही करेंगे. इस पर पुनर्विचार करेंगे. इस निर्णय को वापस लेंगे और ऐसी नियुक्तियाँ खुली निविदा द्वारा पारदर्शी तरीका से करेंगे.

मंत्रिपरिषद के इस निर्णय पर मेरी घोर असहमति है. यह निर्णय गलत है. इसमें से गैरमुनासिब तरीका से किसी खास कम्पनी को फायदा पहुँचाने की बू आती है. इस निर्णय को स्वीकार करना देखकर मक्खी निगलने जैसा है. इससे भविष्य के लिये एक अनुचित एवं अस्वस्थ परम्परा स्थापित होगी. आशा है आप मेरे मन्तव्य को सही परिप्रेक्ष्य मे लेंगे.

सादर,

भवदीय

24.5.2017

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner